परिपत्र संख्या-डीजी-19/2014

ए0 एल0 बनर्जी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1, तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः मार्च 29, 2014

विषयः-जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर प्रचलित एस0आर0 पत्रावलियों को H.C.M.S. साफ्टवेयर में गुणवत्तापूर्वक त्रुटिरहित रूप से फीड किया जाना एवं जवाबदेही निर्धारित किया जाना।

प्रिय महोदय,

प्रदेश के समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद को सम्बोधित एवं समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों व जोनल पुलिस महानिरीक्षकों को पृष्ठांकित मुख्यालय केपरिपत्र संख्याः-47/12 दिनांक 18.10.12 एवं अनुवर्ती पत्र संख्याः डीजी-सात-एस-9(निर्देश/टीएस-4)/2013 दिनांक 04.03.2013 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो जनपद में दिनांक 16.03.12 से घटित जघन्य एवं सनसनीखेज घटनाओं कीविशेष आख्या अपराध पत्रावलियों का त्रुटिरहित रूप से H.C.M.S.(Heinous Crime Monitoring System)साफ्टवेयर में कम्प्यूटरीकृत कराये जाने एवं प्रत्येक स्तर पर सुगमता पूर्वक पर्यवेक्षण व आंकलन किये जाने विषयक है।

2. प्रत्येक स्तर पर सुगमता पूर्वक पर्यवेक्षण किये जाने हेतु **साफ्टवेयर में अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही की प्रत्येक क्रमागत आख्या, वांछित अभियुक्तों व विलम्बित क्रमागत आख्या/आरोप पत्र(Delayed C.R./C.S.) की जनपद/थानावार जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही करने एवं अभियोग की विवेचनात्मक कार्यवाही के पर्यवेक्षण हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा अंकित किये जाने वाले निर्देश को आनलाइन दिये व देखें जाने एवं तदनुसार निर्देशों के अनुपालन में जबाव प्रेषित करने की व्यवस्था साफ्टवेयर में उपलब्ध करा दी गयी है।**

3. तद्सम्बन्ध में परिक्षेत्रीय कार्यालयों में H.C.M.S. साफ्टवेयर पर कार्य करने वाले कार्मिकों को मुख्यालय में बुलाकर दिनांक 02.01.2014 को पुलिस महानिरीक्षक(अपराध), उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षित कर साफ्टवेयर में कार्य करने की पद्धति से अवगत करा दिया गया है तथा उन प्रशिक्षित कार्मिकों का यह भी दायित्व निर्धारित कर दिया गया है कि वे परिक्षेत्र के अधीनस्थ जनपदों तथा अपने जोनल कार्यालय में H.C.M.S. साफ्टवेयर पर कार्य करने वाले कार्मिकों को भी कार्य करने का प्रशिक्षण प्रदान कर कार्य करने की पद्धति से अवगत करा दें।

4. उपयुक्त प्रकरण से सम्बन्धित साफ्टवेयर में फीड की जा रही एस.आर. पत्रावलियों से सम्बन्धित सूचनाओं के अवलोकन से स्पष्ट है किः-

- प्रदेश के किसी भी जनपद/परिक्षेत्र/जोन स्तर पर सूचनाओं को अपेक्षितस्तर पर अद्यावधिक नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के एक जनपद के ऐसे 02 एस.आर. केस पाये गये हैं जिनकी एस.आर. पत्रावली खोली ही नहीं गयी है जबकि मुख्यालय के पत्र संख्याः-डीजी-सात-एस-9(निर्देश/टीएस-4)/2013 दिनांक 04.03.2013 द्वारा एस.आर. पत्रावलियों को खोले जाने के स्पष्ट निर्देश दिये गये है। यह स्थिति प्रदेश के अन्य जनपदों की भी हो सकती है।

- साफ्टवेयर में अपलोड की जा रही सूचनाऐं इतनी सूक्ष्म हैं कि विवेचनात्मक प्रगति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। शब्द सीमा के अन्तर्गत फीड की गयी प्रगति से औचित्य स्पष्ट होना चाहिये।
- फोरेंसिक साक्ष्य के एकत्रीकरण उद्देश्य से तैयार किये गये प्रारूप में प्रदर्श को लिए जाने के उद्देश्य का अंकन नहीं किया जा रहा है।

5. **H.C.M.S. साफ्टवेयर के माध्यम से प्रभावी पर्यवेक्षण किये जाने हेतु निम्नलिखित आदेश निर्गत किये जाते हैं:-**

- जनपद में घटित प्रत्येक विशेष आख्या अपराध श्रेणी अभियोग की एस.आर. पत्रावली खोलकर विवेचना की अद्यतन स्थिति, अभियोग व क्रमागत आख्या की त्रुटिरहित व स्पष्ट अद्यावधिक स्थिति जनपदीय पुलिस अधीक्षकों द्वारा H.C.M.S.साफ्टवेयर में अंकित की जायेगी।
- प्रदेश के जोनल पुलिस महानिरीक्षक व परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक H.C.M.S. साफ्टवेयर के माध्यम से ही एस0आर0 पत्रावलियों का पर्यवेक्षण सुनिश्चित करेंगे तथा पूर्ण तथ्यपरक सूचनाओं की फीडिंग की जवाबदेही भी जोनल/परिक्षेत्रीय पुलिस की होगी।
- H.C.M.S. साफ्टवेयरमें फीड की गयी एस.आर. पत्रावलियों से सम्बन्धित सूचनाओं के फीड किये जाने की कार्यवाही दिनांक 15.04.2014 तक पूर्व निर्देशों के अनुसार पूर्ण करा ली जाय। जोनल पुलिस महानिरीक्षक इस आशय का एक प्रमाणपत्र दिनांक 18.04.2014 को द्वारा फैक्स अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे कि उनके अधीनस्थ जनपदों में समस्त विशेष आख्या श्रेणी के अभियोगों की एस. आर. पत्रावली खोलकर H.C.M.S. साफ्टवेयरमें उद्देश्य परक एवं त्रुटिरहित ढ़ग से सूचनाओं की फीडिंग की गयी है।
- दिनांक 18.04.2014 के बाद मुख्यालय द्वारा H.C.M.S. साफ्टवेयरमें फीड की गयी विशेष अपराध आख्या पत्रावलियों को देखे जाने पर अथवा विवरण अद्यावधिक न होने की त्रुटि पाये जाने की दशा में जनपदीय पुलिस प्रमुख की उदासीनता मानकर मुख्यालय द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत कर दिया जायेगा तथा आपका भी स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।
- यह भी स्पष्ट करना है कि H.C.M.S. साफ्टवेयरकी प्रणाली में जघन्य अपराधों से सम्बन्धित विवरण की गुणवत्ता के सन्दर्भ में अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध), उ0प्र0 द्वारा समीक्षोपरान्त जो टिप्पणी अंकित की जायेगी, वह आपके वार्षिक मन्तव्य का आधार बनेगी।

6. मैं अपेक्षा करता हूँ कि उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

28/3/14

(ए0एल0 बनर्जी)

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक(नाम से),
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक (नाम से),
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद, उ0प्र0 को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।